न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2012 G.C.M.S. No:2012/00069 **दर्ज दिनांक : 17.01.2012**

अपीलार्थिगण:

1. स्व. नाथू सिंह पुत्र अचल सिंह के कायम के कायम मुकामः–
   1/1 हंस सिंह पुत्र नाथू सिंह निवासी पादरली
   1/2 लाछी कंवर पुत्री नाथू सिंह पत्नी सरदार सिंह निवासी पादरली
   1/3 मंछा कंवर पुत्री नाथू सिंह पत्नी स्व. उगम सिंह निवासी कंवला
   1/4 सुखी देवी पुत्री नाथू सिंह पत्नी वकतार सिंह निवासी नया खेड़ा तहसील सुमेरपुर
   1/5 रती कंवर पुत्री नाथू सिंह जवान सिंह निवासी कंवला
   1/6 भाटीया कंवर पुत्री नाथू सिंह पत्नी मोती सिंह निवासी गुड़ा इन्द्रपुरा तहसील आहोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1 भंवर सिंह पुत्र लच्छीया निवासी पादरली तहसील आहोर
2. पदम सिंह पुत्र लच्छीया निवासी पादरली तहसील आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2011 राजस्व वाद संख्या 81/2009 न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर

1. श्री शम्भूदान आशिया विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मधुसुदन व्यास रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 28.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी आहोर के राजस्व वाद संख्या 81/2009 बउनवान भंवर सिंह बनाम नाथीया में पारित आदेश दिनांक 30.11.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

यह कि वादीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर के समक्ष एक वाद बाबत् खातेदारी हक रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया कि सरहद मौजा पादरली के पुराने खसरा नंबर 29 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वां व खसरा नंबर 118 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वां किस्म जवाई द्वितीय की भूमि वादीगण की आई हुई है। जिसके नये खसरा नंबर क्रमशः 56 रकबा 3.05 हैक्टर व खसरा नंबर 212 रकबा 0.61 हैक्टर बने। वर्तमान खसरा नंबर 56 व 212 बनाते समय वादीगण रेस्पोडेण्ट 1 व 2 की भूमि 0.18 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी। उक्त 0.18 हैक्टर भूमि अपीलाण्ट के नये खसरा नंबर 57 रकबा 3.95 हैक्टर में से 0.02 व खसरा नंबर 213 रकबा 0.53 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर भूमि कम करके वादीगण/रेस्पोडेण्ट के खाते के उक्त खसरा नबरों में दर्ज की जायें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलाण्ट की आराजी खसरा नंबर 57 में से 0.02 हेक्टर भूमि कम कर वादीगण के खसरा नंबर 56 में दर्ज करने तथा अपीलाण्ट के खसरा सख्या के खसरा नबर 213 में से 0.16 हेक्टर भूमि कम करके वादीगण/रेस्पोडेण्ट के खसरा नंबर 212 में दर्ज करने के आदेश देकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री पारित की। न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर का निर्णय व डिक्री विधि विधान व रेकर्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर ने नये व पुराने नक्शे का अवलोकन नहीं किया है नया नक्शा देखने से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि रेस्पोडेण्ट सख्या 1 व 2/वादीगण के पुराने खसरा नबर 118, की आकृति नये खसरा नबर 212 के हूबहू समान है अर्थात वादीगण/रेस्पोडेण्ट सख्या 1 व 2 की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 118 व उससे बने नये 212 में कोई अन्तर नहीं है। अपीलाण्ट के पुराने खसरा ननंबर 119 से बने नये बने खसरा नंबर 213 का फैलाव पूर्व दिशा की तरफ हुआ है अर्थात अपीलाण्ट की भूमि रेस्पोडेण्ट 1 व 2 की भूमि के समानान्तर बताई गई है। इससे सिद्ध है कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में वादीगण रेस्पोडेण्ट की भूमि का कोई हिस्सा सम्मिलित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वादीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के मौखिक कथन के आधार पर यह मान लिया है कि मौके पर अपीलाण्ट की भूमि में वादीगण रेस्पोडेण्ट के खसरा नबर 56 का रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नंबर 212 का रकबा 0.16 हेक्टर मिला हुआ है। इस संबंध में कोई मौका की रिपोर्ट नहीं मगवाई गई है। वादीगण द्वारा सिद्ध किये बिना ही वादीगण की भूमि का जो रकबा 0.02 हेक्टर व 0.16 कम हुआ है वह प्रतिवादी/अपीलान्ट के खसरा नम्बर 57 व 213 में मिला हुआ है. तब तक वादीगण का वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया है. इस प्रकरण में अपीलाण्ट को साक्ष्य का मौका दिया जाता तो वह मौके व रेकर्ड की स्थिति को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकता था। अपीलाण्ट का कब्जा पुराने खसरा नंबर 28 की भूमि पर आज भी यथावत है इस पर पुरानी माठे भी पूर्व की तरह कायम है। वर्तमान खसरा नंबर 57 का नक्शा भी पूर्व के खसरा नंबर 28 की माति ही है। अपीलांट के उक्त खेत में रेस्पोडेण्ट के खसरा नंबर 29 का कोई रकबा सम्मिलित नहीं है। अपील स्वीकार कर सहायक कलेक्टर आहोर के राजस्व वाद संख्या 81/09 में पारित निर्णय व विक्री दिनांक 30.11.11 को निरस्त किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों व कथनों को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा पादरली के पुराने खसरा संख्या 29 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता लछीया पुत्र अचला के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 पुराने रेकर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार काबिज कास्त करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के खातेदारी भूमि के पुराने खसरा नम्बर 29 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा के मिलान क्षैत्रफल के नवीन खसरा नम्बर 56 रकबा 3.05 हैक्टर बने, वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 118 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 212 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

0.61 हैक्टेयर बनें। इस प्रकर पुराने रेकर्ड के अनुसार तथा मौके पर कब्जा अनुसार वादीगण के पास कुल रकबा 3.84 हैक्टर आराजी कृषि भूमि है द्वितीय सेटलमेन्ट के वक्त भूल व त्रुटि वश वादीगण के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कुल रकबा 3.66 हैक्टर ही भूमि दर्ज की गई। द्वितीय सेटलमेन्ट के वक्त सेटलमेन्ट के कर्मचारियों को दर्ज पुरानी इन्टरी को ही रिफिड़ कर वर्तमान खाते में दर्ज करनी चाहिए थी। अपीलांट के पुराने खसरा नम्बर 28 कुल रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा आराजी कृर्षि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जबकि उनके वर्तमान खसरा नम्बर 57 रकबा 3.95 हैक्टर दर्ज है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के पुराने खसरा नम्बर 119 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी कृर्षि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसके वर्तमान राजस्व रेकर्ड के नवीन खसरा नम्बर 213 रकबा 0.53 हैक्टर दर्ज की गयी अर्थात 0.18 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 के खाते में दर्ज की गयी। इससे व्यथित होकर पुनः पुराने रेकर्ड के अनुसार 3.84 हैक्टर की खातेदारी हक घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। जिस पर अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर जवाब पेश नही किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपील अपीलांट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट भंवरसिंह व पदमसिंह द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत वादपत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट द्वारा अपनी खातेदारी ग्राम पादरली में स्थित पुराने खसरा संख्या 29 रकबा 19–04 बीघा खसरा संख्या 118 रकबा 4–17 बीघा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा संख्या 29 से नवीन खसरा संख्या 56 रकबा 3.05 हैक्टेयर एवं पुराने खसरा संख्या 118 से नवीन खसरा संख्या 212 रकबा 0.61 हैक्टेयर बनें। द्वितीय सेटलमेंट उपरांत भूल व त्रुटिवश वादीगण के रिकॉर्ड में 3.84 हैक्टेयर के स्थान पर 3. 66 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई, जोकि कम है।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाबदावा बंद किया गया तथा साक्ष्य प्रतिवादी के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई चाराजोही किया जाना रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध एवं साक्ष्य वादी के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत खसरा संख्या 29 से बने नवीन खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 56 के रकबे में 0.07 हैक्टेयर तथा गत खसरा संख्या 118 से बने हाल खसरा संख्या 212 के रकबे में 0.16 हैक्टेयर कुल 0.23 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज है।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तो स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी के कुल रकबे में भू–प्रबंध पश्चात कुल 0.23 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज हुई हैं, लेकिन वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत व प्रदर्श नहीं करवाया है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हों कि वादीगण की खातेदारी आराजी में से कम हुआ रकबा वास्तव में प्रतिवादीगण की आराजी खसरा संख्या 57 रकबा 0.95 हैक्टेयर में शामिल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी ने भी अपने अपीलाधीन निर्णय में उक्त बिन्दु के संबंध में न तो किसी दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख किया है एवं न ही यह अंकित किया है कि उन्होंने किस आधार पर यह विनिश्चय किया कि वादीगण की आराजी में से कम हुआ रकबा वास्तव में प्रतिवादी अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 57 व 213 में शामिल किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा वादीगण की आराजी की गत एवं वर्तमान जमाबंदी तथा खसरा मिलान क्षेत्रफल आदि का अवलोकन करते हुए विवेचन किया है, लेकिन प्रतिवादी अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 57 व 213 जिसमें से रकबा कम किया जाकर रेस्पोंडेंट वादीगण के हिस्से में दर्ज करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा बहक वादी की हैं, के भू–प्रबंध पूर्व व पश्चात, गत व हाल खसरान एवं मिलान क्षेत्रफल आदि का कोई विवेचन नहीं किया है तथा ऐसे विवेचन के अभाव में इस निर्णय पर पहुंचा ही नहीं जा सकता कि प्रतिवादी की आराजी में से भू–प्रबंध पूर्व एवं पश्चात के रकबे में कोई अंतर है या नहीं। तथा ऐसा अंतर यदि रकबे की बढ़ोतरी के रूप में हुआ है, तो क्या वास्तव में ऐसा बढ़ा हुआ रकबा वादीगण की खातेदारी आराजी में से वास्तव में कम हुए रकबे के मिलने से हुआ है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दोषपूर्ण है तथा ऐसे निर्णय की पुष्टि या समर्थन नहीं किया जा सकता, लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर जिला जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2009 भंवरसिंह वगैरह बनाम नाथिया वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2011 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी से जवाबदावा लिया जाकर विवाद्यक कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर प्रकरण में विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण का विधिनुरूप पुनः निर्णय करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में दिनांक 04.12.2024 को असालतन/वकालतन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली